

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक/नपारा/बिखरे भुखण्ड /2022-23/ 4018

दिनांक - 3.1.2023

-:: कार्यालय आदेश ::-

नगर पालिका रावतभाटा की साधारण सभा दिनांक 28.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 07 अनुसार राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 24 उपनियम (1) के खण्ड सी नियमों के अर्न्तगत सर्वे रजिस्टर अनुसार भुखण्डों का अनुमोदन इस कार्यालय के पत्रांक 3574 दिनांक 01.12.2022 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है।

Dilika Tullani
अध्यक्ष

नगर पालिका रावतभाटा
दिनांक -

क्रमांक/नपारा/भूमि/2022-23/

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज0)।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ।
3. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षेत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर (राज0)।
4. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रावतभाटा।
5. श्रीमान् मैनेजिंग डायरेक्टर महोदय, राजस्थान संवाद, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नीलामी सूचना को कोटा/चित्तौड़गढ़ सम्भाग के आगामी संस्करण में न्यूनतम स्पेस में दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर प्रकाशन की तीन प्रतियों के साथ भुगतान योग्य बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
6. श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे एवं बिखरे भुखण्डों की पुनः सर्वे का कार्य करावें।
7. नोटिस बोर्ड उपखण्ड कार्यालय /तहसील/शहरों के मुख्य स्थानों पर चस्पा।
8. सुरक्षित प्रति।

॥
अध्यक्ष

नगर पालिका रावतभाटा